न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल सं.58 / रेफरेंस / 12 (GCMS No.2012 / 00071)	11.10.2012	16.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

हीराबाई बेवा कंवरलाल जाति गूजर (मृतक नाम विलोपित),
मोत्याबाई पुत्री कंवरलाल पत्नी मोरपाल निवासी आजन्दा,
कैलाशीबाई पुत्री कंवरलाल जाति गूजर निवासी भाण्डगुंवार,
तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार इन्द्रगढ ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम बडगांव के खसरा सं. 21 रकबा 2.31 हैक्टेयर में से 0.77 हैक्टेयर को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म 'गे.मु. नाला' राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से कैलाशीबाई के विरूद्ध दिनांक 18.12.12 एवं मोत्याबाई के विरूद्ध दिनांक 15.6.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात् बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा संख्या 18 मिन) की किस्म 1947 से पूर्व 'नाला' दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार नाला राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2001 से 2004, मिलान क्षैत्रफल 2022 से 2041 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम बडगांव की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या **18 मिन** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **नाला** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं.1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र सं. 9213–9244 दिनांक 13.11.07 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम बडगांव, तहसील इन्द्रगढ में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा संख्या 21 रकबा 2.31 हैक्टेयर में से 0.77 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.नाला दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर रेफरेंस प्रकरण निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी